क्या अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था ?

राष्ट्रीय सम्राट से तात्पर्य ऐसे सम्राट से होता है जिसका प्रत्येक कार्य एकीकरण या समन्वय के उद्देश्य से प्रेरित हो। यह वस्तुतः एक यूरोपीय धारणा है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में ऐसे शासकों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। इनमें इंगलैंड का हेनरी सप्तम, फ्रांस का लुई चौदहवाँ, प्रशा का फ्रेडरिक महान जैसे शासक अग्रगण्य हैं। इनकी मुख्य उपलब्धि यह रही कि इन्होंने अपने देशों में सामन्तवादी और विघटनकारी शक्तियों का अंत किया और भौगोलिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित की। यही काम भारत में अकबर ने किया और इसीलिए उसकी तुलना यूरोप के इन राष्ट्रीय सम्राटों के साथ की जाती है।

राष्ट्रीय एकीकरण की पहली शर्त भौगोलिक एकीकरण है। अकबर ने भारत में यह एकीकरण लाने का प्रयास किया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र को उसने अपने अधीन लाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लगभग 2000 वर्ष बाद पहली बार भारत एकता के सूत्र में बँधा। अकबर ने अपने शासन काल में उत्तर एवं दक्षिण भारत के सभी बड़े राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके द्वारा जीते हुये राज्यों में मालवा, गोंडवाना, राजपूताना के राज्य, गुजरात बिहार एवं बंगाल, कश्मीर, काबुल, सिन्ध, कंधार और दक्षिण भारत में खानदेश, बरार एवं अहमदनगर शामिल थे।

अकबर द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य की विशिष्टता यह थी कि इसमें प्रशासनिक एकरूपता स्थापित की गई। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ जिसमें स्थानीय तथा क्षेत्रीय भावनाओं तथा परम्पराओं के स्थान पर केन्द्रीय नियंत्रण एवं एकरूपता के सिद्धान्त को अपनाया गया।

अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का निर्माण किया। मनसबदार प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति, वेतनमान तथा सेवाशर्ते सारे राज्य में एक थे। इसकी तुलना आज के भारतीय प्रशासनिक सेवा से की जाती है। यह सही भी है क्योंकि इससे पहले यानि सल्तनत काल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का आधार योग्यता से ज्यादा प्रजातिवाद एवं शासक के हित पोषण थे। केवल अलाउद्दीन के काल में थोड़ा परिवर्तन आया था परंतु अकबर ने इसे अपने प्रशासन का मूलमंत्र बनाया। इस प्रकार अकबर ने प्रशासनिक अधिकारियों अर्थात् प्रशासकों एवं सैनिकों का मिला जुला वर्ग विकसित किया जो शासन के प्रति निष्ठा रखता था। प्रशासनिक एकरूपता लाने के लिए अकबर ने साम्राज्य के सम्पूर्ण भागों में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। हर प्रांत में एक सूबेदार की नियुक्ति की जो प्रांतीय प्रशासन का प्रधान था। इसकी सहायता के लिये प्रत्येक प्रांत में दीवान (वित्त अधिकारी) बख्शी (सैनिकों को वेतन देने वाला) वाकयानवीस (खुफिया सद्र (धार्मिक एवं दान सम्बन्धी मामलों का प्रधान) काजी (न्यायाधीश) आदि की नियुक्ति हुई। प्रत्येक प्रान्तों को सरकार एवं प्रत्येक सरकार को परगने में विभक्त किया गया। इस तरह सभी स्तरों पर प्रशासनिक एकरूपता लायी गई। अकबर के इस कदम से उस मध्य युग में भी समान नागरिकता की भावना पुष्ट हुई।

अकबर ने सारे देश में एकरूपी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये भी प्रयास किये। जब्ती व्यवस्था के रूप में एक समान लगान व्यवस्था की स्थापना हुई। मुद्रा प्रणाली, माप-तौल के उपकरण और व्यापार पर लगने वाली चुंगी में भी एकरूपता लायी गई जिससे राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ आर्थिक एकीकरण और उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त हुआ।

अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि सांस्कृतिक

एकीकरण के क्षेत्र में है। यह स्मरणीय है कि एक ऐसे युग में जब सारा यूरोप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के बीच के धार्मिक विवाद से पीड़ित था अकबर ने भारत में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता सद्भाव और सम्मान की नीति अपनायी जिसे सुलह कुल कहा जाता है। अकबर ने इसनीति का आरंभ 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने एवं धर्म परिवर्तन कराने पर रोक से किया। आगे उसने 1563 में तीर्थयात्रा कर की समाप्ति की तथा 1564 में जजिया को भी बन्द कर दिया। इस तरह अकबर समान नागरिकता की भावना को विकसित होने दिया। अकबर ने राजपूतों को अपना मित्र बनाया और उन्हें कुछ सुविधायें देकर उनका सहयोग प्राप्त किया। कुछ राजपूत शासकों के साथ उसने युद्ध भी किये परंतु उसके पीछे धार्मिक कट्टरता की भावना नहीं थी। उसने पराजित राजपूत शासकों पर कोई अत्याचार भी नहीं किया ना ही उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। उसने कुछ राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किये और राजपूत पत्नियों को धार्मिक स्वतंत्रता और पूरा सम्मान दिया।

अकबर ने हिन्दुओं के अतिरिक्त ईसाईयों, पारसियों, सिक्खों, जैनों और बौद्धों के प्रति भी धार्मिक सहिष्णुता बरती। इन सभी धर्मों के आचार्यों को उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में स्थित इबादत खाना में सभी धर्मों में स्थित सत्य को जानने के लिये आमंत्रित किया। आगे उसने विभिन्न धर्मों के उपदेशों का संकलन करके दीन इलाही के रूप में एक ऐसी आचार संहिता प्रस्तुत की जिसपर सभी धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्मों के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुये भी कार्य कर सकते थे। अशोक के धम्म की तरह दीन इलाही भी विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच एकता और सद्भावना लाने का एक सराहनीय प्रयास था। इस प्रकार धार्मिक कट्टरता के उस वातावरण में अकबर ने सभी नागरिकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जहाँ सभी

समान रूप से साथ रह सके। इस तरह एक समन्वित समाज के निर्माण की ओर तत्कालीन समाज ने अपना पग बढ़ाया।

अकबर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया। इस समय मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन और हिन्दुओं में सती प्रथा एवं बाल वधू हत्या की प्रथायें अकबर के लिये अप्रिय थी। अकबर ने इन दोनों समाज में व्याप्त उपरोक्त बुराईयों का अन्त करना चाहा लेकिन इसने दबाव और जबरदस्ती से काम नहीं लिया बल्कि लोगों में इनके विरुद्ध चेतना जगाने का प्रयास किया। यद्यपि सुधार के ये प्रयास असफल रहे किन्तु इसके पीछे जो उद्देश्य निहित था वह सराहनीय था।

अकबर ने हिन्दू धर्म और इस्लाम के बीच अलगाव और भ्रान्तियों को दूर करने के लिये दोनों ही धर्मों से सम्बन्धित रचनाओं का अनुवाद करवाया ताकि हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के धर्म और उसके सिद्धान्तों को अच्छे ढंग से समझ सकें। उसने मुगल दरबार में हिन्दू उत्सवों और प्रथाओं को अपनाया ताकि एक समन्वित परम्परा का विकास हो सके। इसी तरह अकबर ने स्थापत्य में इंडो इस्लामिक शैली को विकसित किया। इसके अलावे संगीत, चित्रकला आदि क्षेत्रों में भी एकता लाने का प्रयास किया गया जिससे भारत में एक समन्वित सांस्कृतिक परम्परा का विकास सम्भव हुआ।

इस प्रकार अकबर की उपलब्धियों और उसके प्रयास हर दिशा में एकीकरण के उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने राजनैतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित की, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकरूपता लायी और सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के बीच एकता स्थापित करके विविधता में एकता का उद्देश्य प्राप्त करना चाहा। तब भी कुछ इतिहासकारों का उसे राष्ट्रीय शासक

मानने में आपत्ति है। उनका मानना है कि 16 वीं सदी के भारत में राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा दूर की चीज थी। फिर अकबर जिस एकता की बात करता है वह आध्यात्मिक स्तर की एकता है तथा इसे कुलीनों के स्तर पर ही प्राप्त किये जाने का प्रयास हो रहा था। अर्थात् जन सामान्य के लिये उसके पास कोई संदेश नहीं था।

यदि इन मध्यकाल में राष्ट्रवाद की बात करना नादानी होगी परंतु जहाँ तक अकबर के तमाम नीतियों का सवाल है वे राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करनेवाला एवं विघटनकारी तत्वों को दमित करने वाला था ऐसे में उसे राष्ट्रीय शासक न मानना तर्क संगत ना होगा।